बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 264447 पटना, दिनांक 02/03/16

ग्रा0वि0–06(SGSY/NRLM)23/2012 पार्ट–1

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, (भा0प्र0से0)
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उपविकास आयुक्त,
बिहार।

विषय : **राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission) के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर समन्वय समिति के गठन के संबंध में।**

महाशय,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का राज्य के सभी जिलों/प्रखंडों में कियान्वयन हेतु "बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)" को नोडल एजेंसी के रुप मे नामित किया गया है। उक्त समिति के अध्यक्ष राज्य के विकास आयुक्त तथा संयोजक सचिव बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–राज्य मिशन निदेशक हैं। राज्य स्तर पर जीविका के कियान्वयन हेतु राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई कार्यरत है। जिला स्तर पर इसके कार्यकलापों के समन्वयन हेतु जिला परियोजना प्रबंधक तथा विशेषज्ञों की टीम है जबकि प्रखंड स्तर पर कियान्वयन हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधक के साथ क्षेत्रीय समन्वयकों एवं सामुदायिक समन्वयकों की एक टीम कार्यरत है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रावधान के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि मिशन के कियान्वयन की दिशा में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यकमों तथा विभागीय योजनाओं के साथ समन्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला समन्वय समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

1. जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त	–	संयोजक–सह–सदस्य सचिव
3. निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन	–	सदस्य
4. जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5. जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
6. जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	–	सदस्य
7. महाप्रबंधक – जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य

8. कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग – सदस्य
9. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
10. वरीय उपसमाहर्त्ता, बैंकिग – सदस्य
11. अग्रणी बैंक प्रबंधक – सदस्य
12. जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड – सदस्य
13. निदेशक, आर–सेटी – सदस्य
14. स्वैच्छिक संस्थाओं/समुदाय सम्पोषित संगठनों का प्रतिनिधि/ अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य कोई व्यक्ति – सदस्य
15. जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका – समन्वयक

उक्त समिति के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जीविका की जिला इकाई की वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना है। साथ ही सरकार एवं सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का समन्वयन करना है ताकि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण समुदाय को सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में मिशन के तहत R-SETI की समीक्षा हेतु Local Advisory Committee (LAC) का गठन (विभागीय पत्रांक 163941 दिनांक 23.09.2015 एवं समीक्षा हेतु बिंदुओं के संबंध में निर्देश – विभागीय पत्रांक : 175537 दिनांक: 28.01.2014) पूर्व से दिये जा चुके हैं। सहज संदर्भ हेतु कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है । LAC की भी सभी समीक्षात्मक बैठक मिशन के तहत जिला स्तर पर गठित समन्वय समिति के साथ ही आयोजित की जाय।

उपर्युक्त समन्वय समिति की कार्यविधि निम्नानुसार होगीः–

- समन्वय समिति की बैठक दो माह में एक बार होगी।
- बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष (जिला पदाधिकारी) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उप विकास आयुक्त के निदेशानुसार जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जायेगा।
- बैठक में स्वयं सहायता समूहों का गठन, बचत खाता खोलने, बैंक क्रेडिट लिंकेज एवं ब्याज अनुदान के साथ ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन के संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जायेगा।
- बैठक में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कार्यावली एवं LAC से संबंधित बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी ।
- बैठक की कार्यवाही जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा तैयार कर उस पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा एवं इसका प्रेषण सभी सदस्यों को किया जायेगा।

- बैठक से संबंधित सभी अभिलेखों का संधारण जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जायगा एवं कार्यवाही प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारियों, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जाएगा।
- कार्यवाही के योग्य बिन्दुओं को उनके कियान्वयन के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/विभागों की सूची जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा तैयार कर प्रेषित की जायगी।
- बैठक में उठाये गये बिंदुओं पर की गयी कार्यवाही के विषय में प्रतिवेदन समीक्षा हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में जिला स्तर पर समन्वय समिति का गठन सुनिश्चित किया जाय एवं निर्धारित अन्तराल पर बैठक का आयोजन कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

अनु0:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

2/3/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 264447 पटना, दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 264447 पटना, दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- मिशन निदेशक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 264447 पटना, दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/2016

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 264447 पटना, दिनांक 02/03/16

प्रतिलिपि : मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/2016

सरकार के सचिव